राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2014/755 दिनांकः 9/1/2015

परिपत्र

विषयः– आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वअधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ15(1)/एआर/जीआर–1/2014 दिनांक 24.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 से आवेदक द्वारा सरकार एवं विभिन्न संगठनों में संचालित योजनाओं में आवेदन प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र की अनिवार्यता की समाप्ति एवं दस्तावेजों को स्वअधिप्रमाणित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 और तत्सम्बन्धी राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 के तहत 30 दिवस से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से तथा नोटेरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकरण करने का प्रावधान किया गया है। उक्त जारी परिपत्र के अनुसार किसी विद्यमान विधि या संविधि प्रावधानों में शपथ पत्र आवश्यक किया गया है तो उन प्रकरणों में सम्बन्धित विधि के अनुसार शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक है, परन्तु जिन प्रकरणों में विधि या संविधि के प्रावधान में शपथ पत्र अनिवार्य नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में शपथ पत्र के स्थान पर स्वघोषणा पत्र स्वीकार किया जावेगा एवं विभिन्न आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की फोटो प्रतियां आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित की जायेगी।

अतः 30 दिवस से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिए विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा तथा नोटेरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत किये जाने की विधि यथावत जारी रहेगी एवं जन्म–मृत्यु पंजीकरण आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां स्वीकार्य होगी।

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13 / 1 / 3 / वीएस / डीईएस / 2014 / 745-1043 दिनांकः 7/1/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली—110066
2. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6—बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
5. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम समस्त।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं उप / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।
8. आयुक्त नगर परिषद, समस्त।
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका समस्त।
10. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति........... ....जिला... को पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म—मृत्यु) को परिपत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराने हेतु।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)